न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 14/2016

अपीलांट

1. संजय कुमार पुत्र देवारामजी जाति गर्ग आयु 30 वर्ष निवासी सुभाष गर्ग आमली रोड पिंडवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. जुहारमल पुत्र बदारामजी जाति प्रजापत आयु 50 वर्ष निवासी कृष्णागली पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. माणकचंद पुत्र भबूतमलजी ओसवाल जाति जैन निवासी मोहब्बत नगर तहसील व जिला सिरोही।
2. नगर पालिका मंडल पिण्डवाडा जरिये अधिशाषी अधिकारी पिण्डवाडा।
3. राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री राजेन्द्र सिंह आढा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 28.06.2019.

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1786/2015 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी के पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट नगर पालिका मंडल पिण्डवाडा का वार्ड मेम्बर है, तथा नगर पालिका के निवासियो के हित के लिये कार्य करते है। रेस्पोडेन्टगण ने आपस में मेल मिलाप कर पर्याप्त रास्ता उपलब्ध होते हुए भी 30 फीट रास्ते का आदेश अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है। अत उक्त प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावे। एवं प्रार्थी को अपीलांट के रूप मे पक्षकार संयोजित कराने का आदेश प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एवं राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा को रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के रूप में संयोजित करने का आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं था , इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 251 ए के प्रार्थना पत्र में नगरपालिका मंडल पिंडवाडा जरिये अधिशाषी को को पक्षकार संयोजित किया था। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिलाने हेतु आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो कि पोषणीय नहीं है। अगर कोई पक्षकार किसी निर्णय से पीडित हो तो उक्त पक्षकार सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 96 सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन करता है। किन्तु अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिलाने हेतु आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो कि दौराने दावा या अपील किसी का विचाराधीन प्रकरण में हक प्रभावित होता हो तो वह आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार संयोजित हो सकता है। किन्तु अपील प्रस्तुत करने हेतु आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पोषणीय नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में अपीलांट बतौर पक्षकार संयोजित नहीं था, एवं हाजा न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जबकि कानूनन अगर कोई पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में पारित निर्णय या आदेश में पक्षकार संयोजित न हो, तो ऐसे पक्षकार को सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी के तहत प्रार्थना प्रस्तुत करना होता है। जो कि अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अपील में प्रस्तुत नहीं किया गया है। एवं जहां तक आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो उक्त प्रार्थना किसी भी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अगर कोई व्यक्ति उस विचाराधीन प्रकरण में होने वाले निर्णय या आदेश से प्रभावित है अथवा हितबद्ध पक्षकार है तो विचाराधीन प्रकरण के दौरान उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार संयोजित हो सकता है। किन्तु अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना कानून की दृष्टि से उचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सी.पी.सी पोषणीय न होने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1786/2015 में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश दिनांक 18.02.2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली